नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

कॉर्पोरेट अभिशासन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

कॉर्पोरेट अभिशासन

'कॉर्पोरेट अभिशासन' कंपनी के प्रबंधन, निदेशक मंडल, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का समुच्चय है. कॉर्पोरेट अभिशासन वह संरचना भी उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्यनिष्पादन की निगरानी के उपाय भी तय किए जाते हैं. कॉरपोरेट अभिशासन यह परिभाषित करने में सहायक होता है कि प्राधिकार और दायित्व कैसे आबंटित किए जाएँ और निर्णय कैसे लिए जाएँ.[1] कुशल अभिशासन का उद्देश्य निवेशकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए परिचालन के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की जवाबदेही, दक्षता, ज़िम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता प्राप्त करना है.

नीति और परिचालन से जुड़े मामलों पर निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अनेक समितियाँ गठित की हैं. एक सुदृढ़ नियंत्रण प्रणाली के एक हिस्से के रूप में इन समितियों के कार्यनिष्पादन और गतिविधियों का विवरण निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. नाबार्ड में कॉर्पोरेट अभिशासन के सिद्धांतों को लागू करने में निदेशक मंडल और ये समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इनका विवरण आगामी खंडों में दिया जा रहा है.

निदेशक मंडल

नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली 1982 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियमावली 1984 से शासित होता है. इसके निदेशक मंडल की संघटना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अनुसार की गई है (तालिका 1).

तालिका 1: नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुसार निदेशक मंडल की रचना

नाबार्ड अधिनियम–धारा	*पदनाम*	*संख्या*
6(1)(क)	अध्यक्ष	1
6(1)(ख)	ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, कुटीर और ग्राम उद्योग, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञ	3
6(1)(ग)	भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक	3
6(1)(घ)	केंद्र सरकार के अधिकारी	3
6(1)(ङ)	राज्य सरकार के अधिकारी	4
6(1)(च)	शेयरधारक (भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं को छोड़कर)	–
6(1)(छ)	प्रबंध निदेशक	1
6(3)	भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक	2
	कुल संख्या	17

निदेशक मंडल नाबार्ड में निर्णय लेने के लिए शीर्ष निकाय है. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 की धारा 5(1) के अनुसार नाबार्ड के मामलों और व्यवसाय के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन से संबंधित अधिकार निदेशक मंडल को प्राप्त हैं. निदेशक मंडल नाबार्ड की ओर से समस्त प्राधिकारों के प्रयोग और सभी कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत है.

1 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का परिचर्चा पत्र, जून 2020.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015

सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ [एलओडीआर]) विनियमावली 2015 ढाँचे में संशोधन के अनुसरण में 'उन उच्च मूल्य वाले डेट लिस्टेड निकायों' पर उक्त विनियमावली के कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित विनियम 15 से 27 लागू किए गए जिन्होंने अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जिनकी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डेट प्रतिभूतियों का बकाया ₹500 करोड़ या उससे अधिक था. इस संशोधन के आधार पर, नाबार्ड "उच्च मूल्य वाले डेट लिस्टेड निकाय" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है और तदनुसार नाबार्ड के लिए विनियम 15 से 27 की प्रयोज्यता 31 मार्च 2023 तक "अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें" के आधार पर थी, और उसके बाद अनिवार्य आधार पर हो गई. सेबी ने पहले कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों (अर्थात् एलओडीआर के विनियम 16 से 27) के अनुपालन के लिए निर्धारित समय सीमा को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया था, लेकिन 15 मार्च 2024 को संपन्न उनके निदेशक मंडल की बैठक में यह समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है.

12 दिसंबर 2024 को सेबी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विभिन्न विनियमों में संशोधन करते हुए सेबी (एलओडीआर) (तीसरा संशोधन) विनियमावली 2024 की अधिसूचना जारी की. संशोधित विनियमों से कई बदलावों की शुरुआत हुई, विशेष रूप से व्यापार में आसानी का मार्ग प्रशस्त हुआ.

साथ ही, सेबी ने सेबी(एओडीआर) विनियमावली 2015 में संशोधन के लिए 27 मार्च 2025 को सेबी (एओडीआर) (संशोधन) विनियमावली 2025 की अधिसूचना जारी की. इस संशोधन से अध्याय V-A अस्तित्व में आया जिसमें सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डेट प्रतिभूतियों वाले निकायों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधान हैं. इस अध्याय के प्रावधान केवल उन्हीं निकायों पर लागू होंगे जिनके पास ₹1000 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की बकाया सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डेट प्रतिभूतियाँ हैं और उनके पास कोई सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ नहीं हैं. इस संशोधन की वजह से नाबार्ड पर विनियम 15 से 27 की जगह अध्याय V-A लागू होगा.

तदनुसार, नाबार्ड प्रबंधन निर्धारित समय के भीतर कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के निदेशक मंडल में 10 निदेशक हैं, जिनमें से तीन निदेशक कार्यकारी/ पूर्णकालिक निदेशक हैं और 7 निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं. नाबार्ड, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 62डी (1) (ए) का अनुपालन करता है, जिसके तहत निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन रखना आवश्यक होता है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए और निदेशक मंडल में कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए. निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, निदेशकों की संख्या, विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र और योग्यताओं के विवरण तालिका 2 व 2अ में दिए गए हैं.

तालिका 2: निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, जिन कंपनियों में निदेशक हैं, उनकी संख्या, विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र और योग्यताएँ

क्र. सं.	*निदेशक का नाम*	*श्रेणी*	*उपस्थिति*		*अन्य बोर्डों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य हैं*	*विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र/ योग्यताएँ*	*टिप्पणी*
			*निदेशक मंडल की संपन्न बैठकें**	*बैठकों (सं.) में सहभागिता*			
1.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष	5	5	12	कृषि वित्त	
2.	डॉ. उर्विश शाह@	विशेषज्ञ/गैर-सरकारी	5	5	1	लेखापरीक्षा और परामर्श	कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त
3.	डॉ. एम. डी. पात्रा	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	3	1	1	केंद्रीय बैंकिंग	कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त
4.	श्रीमती रेवती अय्यर	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	5	5	1	लेखापरीक्षा और लेखांकन	
5.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	5	5	7	अध्यापन, शोध, प्रशिक्षण और परामर्श	
6.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	1	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 29 जून 2024 को समाप्त
7.	श्री देवेश चतुर्वेदी	केंद्र सरकार के अधिकारी	3	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
8.	श्री शैलेश कुमार सिंह	केंद्र सरकार के अधिकारी	5	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
9.	डॉ. एम. पी. तंगिराला	केंद्र सरकार के अधिकारी	4	3	2	प्रशासनिक सेवा (आईपी एंड टीएएफएस)	कार्यकाल 19 मार्च 2025 को समाप्त
10.	श्री अशोक बर्नवाल	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0	3	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 26 जून 2025 को समाप्त
11.	श्री एम सेलवेंद्रन	राज्य सरकार के अधिकारी	3	1	3	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
12.	श्री विनोद कुमार सुमन	राज्य सरकार के अधिकारी	1	1	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 01 जुलाई 2024 को समाप्त

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति		अन्य बोर्डों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य हैं	विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र/ योग्यताएँ	टिप्पणी
			निदेशक मंडल की संपन्न बैठकें*	बैठकों (सं.) में सहभागिता			
13.	डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	राज्य सरकार के अधिकारी	4	4	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
14.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	राज्य सरकार की अधिकारी	3	3	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
15.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 18 जून 2024 को समाप्त
16.	श्री बुडिति राजशेखर	राज्य सरकार के अधिकारी	2	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	30 दिसंबर 2024 को अधिवर्षिता पर कार्यकाल समाप्त
17.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	5	5	1	कृषि वित्त	
18.	डॉ. अजय के. सूद	उप प्रबंध निदेशक	5	5	1	कृषि वित्त	

नोट:

1. आईएएस = भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. * = 'संपन्न बैठकें' इसमें निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या शामिल है.
3. @ = निदेशक का कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त होने के बाद उन्होंने विशेष आमंत्रिती के रूप में पिछली दो बैठकों में सहभागिता की.

तालिका 2अ: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की अन्य किसी बोर्ड में सदस्यता

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य कंपनियाँ जहाँ वे निदेशक हैं	ऐसी अन्य कंपनियों में हित की प्रकृति
1	श्री शाजी के वी	**निदेशक के रूप में**	
		1. नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लि.	1. निदेशक
		2. नैबवेंचर्स लि.	2. नामिती निदेशक
		3. नैबसंरक्षण	3. नामिती निदेशक
		4. नैबफाउंडेशन	4. निदेशक
		5. डीआईसीजीसी	5. निदेशक
		शासी निकाय	
		6. बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान	6. शासी परिषद के सदस्य
		7. आईबीपीएस	7. शासी बोर्ड के सदस्य
		8. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान	8. शासी बोर्ड के सदस्य
		9. भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी	9. शासी बोर्ड के सदस्य
		10. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	10. शासी बोर्ड के सदस्य
		11. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	11. बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के सदस्य
		12. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	12. प्रबंध समिति के सदस्य
2	श्रीमती रेवती अय्यर	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक
3	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स	1. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		2. गुजरात इण्डस्ट्रीज़ पावर कंपनी लि.	2. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		3. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	3. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		4. भारतीय रिज़र्व बैंक	4. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		5. सीएएफआरएएल	5. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		6. केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लि.	6. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		7. अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लि.	7. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य कंपनियाँ जहाँ वे निदेशक हैं	ऐसी अन्य कंपनियों में हित की प्रकृति
4	श्री देवेश चतुर्वेदी	शून्य	शून्य
5	श्री शैलेश कुमार सिंह	शून्य	शून्य
6	श्री एम सेलवेंद्रन	1. एमपीएसईडीसी 2. एमपीएमकेवीवीएल 3. एमपीऑनलाइन	1. प्रबंध निदेशक 2. प्रबंध निदेशक 3. अध्यक्ष
7	डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	शून्य	शून्य
8	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	शून्य	शून्य
9	श्री गोवर्धन सिंह रावत	नैबवेंचर्स लि.	नामिती निदेशक
10	डॉ. अजय कुमार सूद	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लि.	नामिती निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025 में निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मंडल की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए (तालिका 3 और 4).

तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2025 में शामिल हुए निदेशक मंडल के सदस्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	शामिल होने की तिथि
1.	श्री बुडिति राजशेखर	विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	19 जून 2024
2.	डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	सचिव, कृषि और किसान कल्याण, उत्तराखंड सरकार	02 जुलाई 2024
3.	श्री देवेश चतुर्वेदी	सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	06 अगस्त 2024
4.	श्री एम सेलवेंद्रन	सचिव, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	14 अक्तूबर 2024
5.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	आयुक्त (वित्त), अरुणाचल प्रदेश सरकार	14 अक्तूबर 2024

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2025 में निदेशक पद से पदमुक्त होने वाले निदेशक मंडल के सदस्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल समाप्ति
1.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	18 जून 2024
2.	श्री अशोक बर्नवाल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	26 जून 2024
3.	श्री मनोज आहूजा	सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	29 जून 2024
4.	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, कृषि और किसान कल्याण, उत्तराखंड सरकार	01 जुलाई 2024
5.	डॉ. उर्विश शाह	निदेशक	29 दिसंबर 2024
6.	श्री बुडिति राजशेखर	विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	31 दिसंबर 2024
7.	डॉ. एम. डी. पात्रा	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	14 जनवरी 2025
8.	डॉ. एम. पी. तंगिराला	अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	19 मार्च 2025

विव 2025 में संपन्न निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें

विव 2025 के दौरान, नाबार्ड ने सुशासन के सभी निर्धारित मानदंडों का अक्षरश: पालन किया, और निदेशक मंडल और इसकी समितियों ने संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित कीं (तालिका 5 और 6).

तालिका 5: निदेशक मंडल की आयोजित की गई बैठकों की संख्या

क्र. सं.	बैठक सं.	बैठक की तिथि
1.	257	24 मई 2024
2.	258	30 जुलाई 2024
3.	259	12 नवंबर 2024
4.	260	14 फरवरी 2025
5.	261	28 मार्च 2025

निदेशक मंडल की समितियाँ

तालिका 6: निदेशक मंडल की समितियों की आयोजित बैठकें

क्र. सं.	निदेशक मंडल और उसकी समितियाँ	वांछित बैठकें	आयोजित बैठकें
1.	निदेशक मंडल	04	05
2.	कार्यपालक समिति	04	04
3.	लेखापरीक्षा समिति	06	06
4.	जोखिम प्रबंधन समिति	04	04
5.	परिसर समिति	02	02
6.	मानव संसाधन समिति	02	03
7.	आईटी कार्यनीति समिति	04	05
8.	मंजूरी समिति	आवश्यकता आधारित	04
9.	हितधारक संबंध समिति	01	01
10.	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गठित निदेशक मंडल की विशेष समिति	आवश्यकता आधारित	01
11.	इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति	आवश्यकता आधारित	—
12.	आंतरिक मंजूरी समिति	आवश्यकता आधारित	12

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के तहत किया गया था (तालिका 7).

कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण:

1. लेखापरीक्षा समिति निदेश प्रदान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करेगी. समग्र लेखापरीक्षा कार्यों में संस्था की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षणों का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है.
2. जहाँ तक आंतरिक लेखा परीक्षा का संबंध है, यह समिति संस्था में आंतरिक निरीक्षण/ लेखापरीक्षा के कार्य अर्थात् अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली, इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी. समिति, धोखाधड़ियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई और हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी.
3. सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, समिति रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी. समिति वार्षिक वित्तीय लेखे और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा भी कर सकती है.
4. भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/ चिंताओं की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई.
5. भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन की समीक्षा.
6. बेसल-III मानदंडों के कार्यान्वयन की समीक्षा.
7. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन की समीक्षा.
8. सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई.
9. रेटिंग एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श.
10. कोई अन्य संबंधित मुद्दे, जिन्हें निदेशक मंडल शामिल करना चाहता हो.
11. सेबी-एओडीआर की अनुसूची 2 के भाग सी में विनिर्दिष्ट सभी मदें.

तालिका 7: विव 2025 के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की रचना और सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	आयोजित बैठकें*	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. उर्विश शाह@	विशेषज्ञ/ गैर सरकारी	6	6
2.	श्रीमती रेवती अय्यर	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	6	6
3.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	6	6
4.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	1	0
5.	श्री देवेश चतुर्वेदी	केंद्र सरकार के अधिकारी	4	0
6.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	राज्य सरकार की अधिकारी	4	2
7.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0
8.	श्री बुडिति राजशेखर	राज्य सरकार के अधिकारी	3	1
9	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	6	6
10.	डॉ. अजय कुमार सूद	उप प्रबंध निदेशक	6	6

नोट:

1. * 'आयोजित बैठकें' के अंतर्गत संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित एसीबी बैठकों की संख्या दी गई है.
2. @ चूँकि निदेशक का कार्यकाल दिनांक 29 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था, अतः उन्होंने एसीबी की पिछली दो बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लिया है.

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के तहत किया गया था (तालिका 8).

कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण:

1. ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम-युक्त निवेशों के समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करना. इस प्रयोजन के लिए, आरएमसीबी को उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हों, के बीच प्रभावशाली ढंग से समन्वय करना चाहिए.
2. बाज़ार जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम-युक्त निवेशों के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तय करना.
3. बाज़ार जोखिम मापन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित करना.
4. यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (लोगों, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति के अनुरूप हैं.
5. बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना. इन सीमाओं में खरीदे/ बेचे गए और उपचित पोर्टफोलियो के लिए उत्प्रेरक (ट्रिगर) अथवा हानि-रोध (स्टॉप-लॉस) शामिल हैं.
6. वित्तीय मॉडल की सुदृढ़ता सुनिश्चित करना और बाजार जोखिम की गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना.
7. परिचालन जोखिम नीतियाँ निर्धारित करना और निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए मुद्दों पर निर्णय लेना.
8. पूरे संगठन में परिचालन जोखिम के प्रोफाइलों की समीक्षा करना.
9. परिचालन जोखिम पूँजी पद्धति और उसके परिणामी एट्रिब्यूशन निर्धारित करना.
10. विभिन्न ग्राहकों के रेटिंग मानदंडों का निर्धारण और उनकी समीक्षा करना.
11. विभिन्न ग्राहकों/ ग्राहक समूहों के लिए एक्स्पोज़र मानदंडों का निर्धारण करना.
12. तिमाही अंतरालों पर ग्राहकों को हुए एक्स्पोज़र की समीक्षा करना.
13. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित समग्र मानदंडों के अंतर्गत जोखिम उठाने की क्षमता की अभिव्यक्तियों को निर्धारित और अनुमोदित करना.
14. पूरे संगठन में परिचालन जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को सुदृढ़ करना.
15. कोई अन्य मामला जो निदेशक मंडल समिति को सौंपे.
16. सेबी-एलओडीआर की अनुसूची II के भाग डी में विनिर्दिष्ट सभी मदें.

तालिका 8: विव 2025 के दौरान निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की रचना और सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं.	*नाम*	*श्रेणी*	*आयोजित बैठकें**	*बैठकों में उपस्थिति*
1.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया, अध्यक्ष, आरएमसीबी	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	4	4
2.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष, नाबार्ड	4	4
3.	श्रीमती रेवती अय्यर	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	4	4
4.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	1	0
5.	श्री देवेश चतुर्वेदी	केंद्र सरकार के अधिकारी	2	0
6.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	राज्य सरकार की अधिकारी	2	2
7.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0
8.	श्री बुडिति राजशेखर	राज्य सरकार के अधिकारी	2	0
9.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	4	4
10.	डॉ. अजय कुमार सूद	उप प्रबंध निदेशक	4	4
11.	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	विशेष आमंत्रिती	4	3

नोट:

1. आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक
2. * - 'आयोजित बैठकें' के अंतर्गत संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित आरएमसीबी बैठकों की संख्या दी गई है.

निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति

निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के अंतर्गत किया गया था, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 20 के तहत अनिवार्य है.

क) समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम: 17 दिसंबर 2024 को आयोजित एसआरसी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉ. रवीन्द्र एच ढोलकिया ने की थी;

ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: श्री विनोद चंद्रशेखरन, मुख्य महाप्रबंधक;

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या: 01;

घ) शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या: शून्य;

ङ) लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नाबार्ड में नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 13(3) के अनुसरण में अन्य निदेशक मंडल स्तर की समितियाँ गठित की गई हैं (तालिका 9).

तालिका 9: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सभी निदेशक मंडल स्तरीय समितियाँ

क्र. सं.	*समिति*	*रचना*
1.	कार्यपालक समिति	श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष श्रीमती रेवती अय्यर श्री शैलेश कुमार सिंह श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद

क्र. सं.	समिति	रचना
2.	परिसर समिति	डॉ. अजय के. सूद श्री जी. एस. रावत श्रीमती रेवती अय्यर डॉ. रवि सिन्हा (विशेषज्ञ) श्री बी. जी. फर्नान्डिस (विशेषज्ञ)
3.	मानव संसाधन समिति	श्री शाजी के. वी. डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री शैलेश कुमार सिंह श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
4.	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद श्रीमती रेवती अय्यर श्री एम. सेलवेंद्रन श्री एम. जी. अजयन (आईटी विशेषज्ञ) श्री ए. दुर्गा प्रसाद (आईटी विशेषज्ञ)
5.	मंजूरी समिति	श्री शाजी के. वी. श्रीमती रेवती अय्यर डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री देवेश चतुर्वेदी श्री शैलेश कुमार सिंह श्री एम. सेलवेंद्रन श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
6.	हितधारक संबंध समिति	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री शैलेश कुमार सिंह श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
7.	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गठित निदेशक मंडल की विशेष समिति	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
8.	इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति	श्री शाजी के. वी. श्रीमती रेवती अय्यर

परिचय कार्यक्रम और निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान से संबंधित वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्तीय मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 03 अप्रैल 2019 के नवीनतम पत्र की प्रति नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.[2] निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः ₹40,000 और ₹20,000 प्रति बैठक के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया. इसके अलावा, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹5,000 प्रति बैठक का अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था.

सामान्य शेयरधारक सूचना

₹100 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी के साथ नाबार्ड की स्थापना की गई थी और 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इसकी चुकता पूँजी ₹17,080 करोड़ तक पहुँच गई. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच शेयर पूँजी के संयोजन में संशोधन के फलस्वरूप, आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में स्थित संस्था बन गई है.

संचार के साधन

1. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नाबार्ड समय-समय पर प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करता है. त्रैमासिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों के साथ-साथ नाबार्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज की वेबसाइटों पर भी प्रकाशित किए जाते हैं.
2. आम तौर पर जिन समाचार पत्रों में परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें जनसत्ता (हिंदी), लोकसत्ता (मराठी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) शामिल हैं.
3. नाबार्ड अपनी वेबसाइट - www.nabard.org पर सभी आवश्यक जानकारी प्रकाशित करता है.

अन्य प्रकटन

1. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन जो संभावित रूप से सूचीबद्ध निकाय के व्यापक हितों का विरोधी हो सकता है, का प्रकटीकरण: **इसे नाबार्ड के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के लेखा मानक 18 (एएस18) के अंतर्गत शामिल किया गया है.**
2. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध निकाय द्वारा अननुपालन, स्टॉक एक्सचेंज/ एक्स्चेंजों या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंडों, आक्षेपों का विवरण: सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 50(1) के अंतर्गत सूचना में विलंब के लिए एनएसई और बीएसई, प्रत्येक ने ₹5,900 का जुर्माना लगाया था. बीएसई द्वारा लगाए गए ₹5,900/- के दंड की माफी के लिए एक अभ्यावेदन सक्रिय रूप से विचाराधीन है.
3. सतर्कता तंत्र व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण और इस बात की पुष्टि कि लेखापरीक्षा समिति तक किसी भी कर्मी को पहुँचने से रोका नहीं गया है: **नाबार्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है.**
4. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और अननिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण: सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 15 से 27 के अनुसार नाबार्ड पर कॉर्पोरेट अभिशासन के मानदंड 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' आधार पर 31 मार्च 2025 तक लागू थे. नाबार्ड ने नाबार्ड अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत इन विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया है.

[2] https://www.nabard.org/investor-relations.aspx

5. वेब लिंक जहाँ 'मैटीरियल' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटन किया गया है: 'मैटीरियल' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति नाबार्ड की वेबसाइट पर https://www.nabard.org/hindi/auth/writereaddata/File/policy-on-material-subs.pdf. पर उपलब्ध है;
6. संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने से संबंधित नीति का वेब लिंक: संबंधित पक्ष लेन-देन को नाबार्ड के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के एएस 18 के अंतर्गत शामिल किया गया है. संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने की नीति निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को संपन्न 250वीं बैठक में अनुमोदित की गई है और यह नाबार्ड की वेबसाइट https://www.nabard.org/pdf/nabard-policy-on-rpts-final-26-03-2023.pdf पर उपलब्ध है.
7. पण्य मूल्य जोखिमों और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: **नाबार्ड पर लागू नहीं. नाबार्ड की सहायक कंपनियों को पण्यों/ पण्य व्युत्पन्नों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है.**
8. विनियम 32(7ए) के तहत यथा-विनिर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन अथवा योग्य संस्था नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण: **नाबार्ड पर लागू नहीं है.**
9. किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है: **लागू नहीं.**
10. जहाँ निदेशक मंडल ने अपनी किसी भी समिति की ऐसी कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की, जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना अपेक्षित था, तो उसके कारणों के साथ उसका प्रकटन किया जाना चाहिए: **शून्य.**
11. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 से संबंधित प्रकटीकरण:
    - क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या – 01
    - ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 01
    - ग. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या - 00
12. सूचीबद्ध निकाय और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक को और उस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक भी एक हिस्सा है, की सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क (तालिका 10 और 11).

तालिका 10: नाबार्ड के सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क

(राशि ₹ में)

वार्षिक लेखापरीक्षा शुल्क	13,88,000
प्रमाणीकरण के लिए शुल्क	6,30,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	4,16,400
त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	9,01,000
कुल शुल्क	33,35,400

तालिका 11: सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क

(राशि ₹ में)

सहायक कंपनी	*लेखापरीक्षा शुल्क की श्रेणी*	*शुल्क*
नैबकिसान	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,25,000
नैबसंरक्षण	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	60,000
नैबवेंचर	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	60,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	36,000
	सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	25,000
नैबफाउंडेशन	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	53,100
नैबफिन्स	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	7,59,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	50,000
नैबसमृद्धि	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,60,000
	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	3,00,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	65,000
नैबकॉन्स	लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट असाइनमेंट	1,00,000
	निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए फेसलेस स्क्रूटिनी एसेसमेंट की हैंडलिंग	50,000
सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त कुल शुल्क		20,43,100

सूचीबद्ध निकाय और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'उन फर्मों/ कंपनियों को दिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशकों का हित जुड़ा है' का प्रकटीकरण: बशर्ते यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू हो. **शून्य**

तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2025 में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त वेतन और भत्ते (₹)

नाम	*मूल वेतन*	*महँगाई भत्ता*	*अन्य (पीछे का बकाया)*	*कुल*	*अवधि*
श्री शाजी के वी	27,00,000	14,37,750	-	41,37,750	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025
श्री जी एस रावत	21,95,000	11,27,530	17,87,257	51,09,787	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025
श्री अजय के सूद	21,95,000	11,27,530	17,87,257	51,09,787	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरक्त विनियमावली, 1984 के माध्यम से स्थापित और संचालित है. उच्च मूल्य की डेट सूचीबद्ध इकाई होने के नाते नाबार्ड पर कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के साथ सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 का अध्याय V-ए (दिनांक 27 मार्च 2025 की सेबी की अधिसूचना के माध्यम से शामिल) का अध्याय V-ए लागू होता है. इस अध्याय में निदेशक मंडल के लिए आचार संहिता से संबंधित दो उप-नियम शामिल हैं, नामतः:

i. सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 62डी (10) (संशोधन से पहले विनियम 17(5)), जिसमें प्रावधान है कि "निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को उपयुक्त रूप से शामिल करते हुए निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और एचवीडीएलई के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा".

ii. सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 62ओ (3) (पहले विनियम 26(3)), जिसमें प्रावधान है कि "निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे."

विनियम 17(5) के अनुसार तैयार की गई निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में अनुमोदित किया था.

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का अनुपालन किया है, जिन्हें वर्ष 2024-25 के लिए विनियम 62ओ (3) के अनुसार वार्षिक घोषणा के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो इस आशय की पुष्टि करते हुए उनके द्वारा हस्ताक्षरित थे.

शाजी के.वी.
अध्यक्ष

अनुबंध

अनुबंध I

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण पत्र

[सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची V के भाग ई के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की उनके लागू होने की सीमा तक जाँच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियमावली') के तहत विशिष्ट विनियमों में निर्धारित किया गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. मेरी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक ही सीमित थी. यह न तो नाबार्ड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उनपर मताभिव्यक्ति है.

नाबार्ड की स्थापना और उसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा किया जाता है. इस प्रकार, कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों की प्रयोज्यता के अनुसार उस सीमा तक हैं जहाँ तक ये नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के विरोध में न हों.

कृते: मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(*पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.:* 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : 5652 सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : मुंबई

अनुबंध II

मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24A के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने **नाबार्ड** द्वारा, उनपर लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट कार्य प्रणालियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है.

नाबार्ड के बही-खातों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रस्तुत किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा नाबार्ड द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे उक्त सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, मैं इसके द्वारा यह प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी राय में नाबार्ड ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि नाबार्ड में समुचित निदेशक मंडलीय प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र विद्यमान है:

मैंने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा रखी गई बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में जाँच की है:

(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (नाबार्ड अधिनियम, 1981);
(ii) अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समान्य विनियमावली, 1982;
(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (उक्त अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए यथा-संशोधित नियम; यथा संशोधित; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
(iv) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए यथा-संशोधित नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
(v) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए यथा संशोधित विनियम और उप-नियम; *(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)*
(vi) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमावलियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं –
    (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
    (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
    (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
    (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं);
    (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021
    (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यापार के संबंध में; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
    (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं); और
    (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं);

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
(ख) नाबार्ड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज यथा एनएसई लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण करारों के साथ-साथ सेबी [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के तहत लागू विशिष्ट विनियम जो संबंधित अवधियों के लिए जिस प्रकार लागू हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नाबार्ड ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- वर्ष के दौरान तीन निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, हालाँकि, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, नाबार्ड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1 सी) (ए) के तहत शेयरधारकों का ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसके निदेशक मंडल में निदेशकों को भी सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है. चूँकि नियुक्ति प्रक्रिया में 17(1सी)(ए) का अनुपालन निहित है, अतः नए निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
- सेबी (एलओडीआर) के विनियम 20(3) के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठकों में प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हमें वार्षिक सामान्य बैठक का कोई विवरण नहीं मिला है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, अतः वार्षिक सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की जाती है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(3) में यथावर्णित स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का विवरण नहीं मिला है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 25(3) 01 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू है. विनियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की औपचारिक बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 से आयोजित की जाएगी. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
- हमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19 में वर्णित नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 19 के लिए एनआरसी के गठन की आवश्यकता है जो 31.03.2025 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू था और सेबी ने दिनांक 27.03.2025 के संशोधन के माध्यम से इसमें एचवीडीएलई द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु एक अध्याय को सम्मिलित किया है, जिसमें 62जी के अनुसार "निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यों का निर्वहन या तो निदेशक मंडल द्वारा किया जाए या एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाए". वर्तमान में, निदेशकों का नामांकन किया जा रहा है और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जा रहा है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.

उपर्युक्त अवधि के दौरान और नाबार्ड में संबंधित अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, हम अपने निम्नलिखित निष्कर्ष और कथन प्रस्तुत करते हैं:

- नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के माध्यम से स्थापित और अभिशासित है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियमावली, 2015 के अनुसार नाबार्ड को 'उच्च मूल्य डेट सूचीबद्ध संस्था' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अध्याय IV के प्रावधान 'अनुपालन करें अथवा स्पष्टीकरण दें' लागू होते हैं. तदनुसार नाबार्ड ने विनियम 18 और 19 सहित सेबी एलओडीआर के अंतर्गत कुछ प्रावधानों से छूट के लिए सेबी को आवेदन के माध्यम से आवेदन किया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है.

- इसके अतिरिक्त, नाबार्ड उस सीमा तक कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है जो नाबार्ड अधिनियम और नाबार्ड सामान्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है.

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

- कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ नाबार्ड के निदेशक मंडल का विधिवत् गठन किया गया है.
- सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों के निर्धारण के संबंध में पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.
- सभी प्रस्ताव अधिकांश निदेशकों की सहमति से पारित किए गए थे.

मैं आगे भी रिपोर्ट करता हूँ कि:

- लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के आकार और संचालन के अनुरूप नाबार्ड में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है.

आगे मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में नाबार्ड के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई भी विशिष्ट घटना/ कार्रवाई नहीं हुई.

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा स्थापित और अभिशासित है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जिस सीमा तक वे नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के विरोध में न हो.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : *5652* सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : मुंबई

सचिवीय रिपोर्ट का अनुलग्नक जो रिपोर्ट का ही एक भाग है

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैं, आगे यह भी कहता हूँ कि सम तिथि की मेरी उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

1. सचिवीय/ सांविधिक अभिलेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी नाबार्ड के प्रबंधन की है. मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अपना अभिप्राय व्यक्त करना है.
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है.
3. मैंने नाबार्ड के वित्तीय अभिलेखों और बही-खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है.
4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का मत मौखिक रूप से प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. मेरी जाँच नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है और किसी भी अननुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो नाबार्ड की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा नाबार्ड के मामलों को संचालित करने की प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में है.

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा स्थापित और अभिशासित है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जिस सीमा तक वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के विरोध में न हों.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(*पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.:* 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : 5652 सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025

अनुबंध III

वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में और सेबी एलओडीआर के विनियम 62एम(2) के तहत दिनांक 27 मार्च, 2025 के संशोधित प्रावधानों के साथ पठित]

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)" की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

हम, दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स ने निम्नलिखित की जाँच की:

(क) हमें उपलब्ध कराए गए सभी प्रपत्र और अभिलेख तथा **नाबार्ड** ("उच्च मूल्य डेट सूचीबद्ध निकाय") द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,
(ख) सूचीबद्ध निकाय द्वारा स्टॉक एक्सचेंज/ एक्सचेंजों को की गई फाइलिंग/ प्रस्तुतियाँ,
(ग) सूचीबद्ध निकाय की वेबसाइट,
(घ) प्रमाणीकरण के लिए जिन दस्तावेज़ों पर निर्भर किया गया है, वे संबंधित दस्तावेज़.

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (नाबार्ड अधिनियम, 1981);
(ख) अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982;
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके तहत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;
(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; [**समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं**];

विशिष्ट विनियम, जिनके उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों की जाँच की गई, वे निम्नानुसार हैं:-

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार यथा लागू सीमा तक विनियम; विधिवत् अद्यतनीकृत हैं;
(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; (जिस सीमा तक लागू)
(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011;
(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमावली, 2018; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021
(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमावली, 2015; (जिस सीमा तक लागू)
(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, यथा संशोधित;
(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियमावली, 2022;
(ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और उसके तहत जारी किए गए परिपत्र/ दिशानिर्देश;

उपर्युक्त जाँच के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा अवधि के दौरान:

(क) सूचीबद्ध इकाई ने निम्नलिखित बिन्दुओं के अलावा उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क्रम सं.	अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम / परिपत्र / दिशानिर्देश)	विचलन	व्यवसायरत कंपनी सचिव के प्रेक्षण / टिप्पणियाँ
1.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1सी)(ए) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए अगली सामान्य बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जाए.	वर्ष के दौरान तीन निदेशकों की नियुक्ति की गई, तथापि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, नाबार्ड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसके बोर्ड निदेशकों को भी सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है. चूँकि नियुक्ति प्रक्रिया में 17(1सी)(ए) का अनुपालन निहित है, अतः नए निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
2.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19 के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाना है.	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, इस प्रकार की समिति का गठन नहीं किया गया है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 19 के लिए एनआरसी के गठन की आवश्यकता है जो 31.03.2025 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू था और सेबी ने दिनांक 27.03.2025 के संशोधन के माध्यम से इसमें एचवीडीएलई द्वारा अनुसरण किए जाने वाले हेतु एक अध्याय को सम्मिलित किया है, जिसमें 62जी के अनुसार "निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यों का निर्वहन या तो निदेशक मंडल द्वारा किया जाए या एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाए...". वर्तमान में, निदेशकों का नामांकन किया जा रहा है और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जा रहा है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
3.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 20(3) के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठकों में प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे.	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हमें वार्षिक सामान्य बैठक का कोई विवरण नहीं मिला है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, अतः वार्षिक सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की जाती है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
4.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25 (3) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक [वित्तीय] वर्ष में न्यूनतम एक बैठक आयोजित करेंगे और सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.	उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25 (3) में यथावर्णित स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का विवरण नहीं मिला है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 25(3) 01 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू है. विनियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की औपचारिक बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 से आयोजित की जाएगी. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.

(ख) जहाँ तक अभिलेखों की जाँच से प्रतीत होता है, सूचीबद्ध इकाई ने उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उचित अभिलेख रखे हैं.

(ग) उपर्युक्त अधिनियमों/विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंजों (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) द्वारा सूचीबद्ध इकाई/इसके प्रोमोटरों/निदेशकों/मटेरियल सहायक कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	जिसके द्वारा कार्रवाई की गई	उल्लंघन का विवरण	कार्रवाई का विवरण उदाहरणार्थ जुर्माना, चेतावनी पत्र, प्रतिबंध आदि	व्यवसायरत कंपनी सचिव के प्रेक्षण/ टिप्पणियाँ
1.	एनएसई	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 50(1) के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी से निदेशक मंडल की सूचना और बैठक की तिथि को छोड़कर न्यूनतम दो कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज को निदेशक मण्डल की बैठक की सूचना देना अपेक्षित है. लेकिन नाबार्ड ने यह अवधि केवल एक कार्य दिवस की रखी है.	एनएसई ने 5 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 को अपने ईमेल के माध्यम से ₹5,000+जीएसटी का जुर्माना लगाया है.	नाबार्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण पत्र सहित छूट अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे एनएसई ने दिनांक 21 फरवरी 2025 के अपने पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था.

2.	बीएसई लिमिटेड	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 50(1) के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी से निदेशक मंडल की सूचना और बैठक की तिथि को छोड़कर न्यूनतम दो कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज को निदेशक मण्डल की बैठक की सूचना देना अपेक्षित है. लेकिन नाबार्ड ने यह अवधि केवल एक कार्य दिवस की रखी है.	बीएसई ने 9 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 को अपने ईमेल के माध्यम से ₹5,000+जीएसटी का जुर्माना लगाया है.	नाबार्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण पत्र सहित छूट अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है.

(घ) सूचीबद्ध इकाई ने पिछली रिपोर्टों में किए गए प्रेक्षणों का अनुपालन करने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की है:

क्रम सं.	*पिछली रिपोर्टों में व्यवसायरत कंपनी सचिव के प्रेक्षण*	*... (वर्ष इंगित किए जाने हैं) को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षण*	*सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई, यदि हो*	*सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई पर व्यवसायरत कंपनी सचिव की टिप्पणी*
		लागू नहीं		

(ङ) सूचीबद्ध इकाई सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3 (5) और 3 (6) का अनुपालन कर रही है.

- उपर्युक्त अवधि के दौरान और नाबार्ड में संबंधित अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, हम अपने निम्नलिखित निष्कर्ष और कथन प्रस्तुत करते हैं: नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा स्थापित और अभिशासित है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के अनुसार नाबार्ड को 'उच्च मूल्य डेट सूचीबद्ध निकाय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अध्याय IV के प्रावधान 'अनुपालन करें अथवा स्पष्टीकरण दें' के आधार पर लागू होते हैं. तदनुसार नाबार्ड ने विनियम 18 और 19 सहित सेबी (एलओडीआर) के अंतर्गत कुछ प्रावधानों से छूट के लिए सेबी को आवेदन के माध्यम से आवेदन किया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है.

  इसके अतिरिक्त, नाबार्ड उस सीमा तक कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और पालन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है जो नाबार्ड अधिनियम और नाबार्ड सामान्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है.

कृते : मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : 5652 सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : मुंबई